an>

Title: Issue regarding investigation of Agustawestland deal.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : स्पीकर मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं आपके माध्यम से सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहती हूं। आज के अखबार 'इकोनॉमिक टाइम्स' के माध्यम से यह खबर आयी है।...(व्यवधान) 'अगस्टा वेस्ट लैंड' मामले की सुनवाई इटली के कोर्ट में हो रही थी, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उस समय की सरकार को लताड़ा है और यह भी कहा है कि किस प्रकार से रक्षा मंत्रालय को जो निवेदन भेजे गये और उन निवेदनों के माध्यम से कहा गया कि आप पूरे दस्तावेज भेजिए। वर्ष 2013 में निवेदन भेजा गया था लेकिन वर्ष 2014 तक वे दस्तावेज नहीं पहुंचे। वर्ष 2014 में मात्र तीन डॉक्यूमेंट्स उनको भेजे गये। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि जेल के अंदर ऑरसी नामक के व्यक्ति थे, जो अगस्टा वेस्टलैंड के हेड थे। उन्होंने अपने हाथ से लिखे हुये खत के माध्यम से संदेश दिया कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, मारिओ मॉंटी और टैरिसिनो से उनका नाम लेकर बात की जाये। वे लोग उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी से भी बात कर रहे थे, उस पर बहुत सिरियस टिप्पणी की गयी कि ये (आर.सी.) क्या संदेश देना चाहते थे, यह वहां कोर्ट नहीं बता सकती है लेकिन जिस प्रकार से भारत सरकार ने दस्तावेज भेजने की कोताही की है और अपने काम में अनियमितता दिखायी है, वही शायद इसका बेहतरीन जवाब है। इसी प्रकार से आगे यह भी टिप्पणी की गयी कि पूरी तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए और हमारे यहां कॉंट्रोल ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी यह 3,565 करोड़ रुपये का घोटाला था, उस समय के कौन-कौन लोग इसमें लिप्त थे, क्या तरीके अपनाये गये और इटालियन माफिया किस तरीके से काम कर रहा था, उस पर जांच होनी चाहिए। खासतौर पर, ब्रिटेन का जो बिचौलिया क्रिश्चन माइकल था, उसको लेकर भी बहुत सख्त टिप्पणी कोर्ट ने दी है। अगर किसी विदेश में कोर्ट ऑफ में अपिल्स का यह जजमेंट आता है, जिसमें लगातार भारत सरकार की साख को कुछ सरकारी कामों के जरिये गिराया जा रहा है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। खासतौर पर रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री जी के द्वारा उस पर जांच कर संसद में बताया जाना चाहिए। ...(व्यवधान) उस पर चर्चा होनी चाहिए और रक्षा मंत्री जी का बयान भी होना चाहिए। उसकी पूरी इंवेस्टिगेशन होनी चाहिए और साथ ही उस पर संसद में भी चर्चा होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्षः अनुराग जी, मिनाक्षी लेखी जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ आप अपने-आप को संबंद्ध कर सकते हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री शिवकुमार उदासि,

डॉ. सत्यपाल सिंह,

श्री सुनील कुमार सिंह,

श्री निशिकान्त दुबे,

श्री देवजी एम. पटेल,

श्री विनोद लक्ष्मशी चावड़ा और

श्री अनुराग सिंह ठाकुर को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : सदन में जो इश्यू उठाया गया है, यह गंभीर मामला है। यह दूसरे देश से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए मैं इसको रक्षा मंत्री जो को कन्वे कर दूंगा कि यह नोटिस दिया गया और इस तरह का विषय बताया गया है। आगे क्या करना है, रक्षा मंत्री जी बतायेंगे।

माननीय अध्यक्ष : श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी, उपस्थित नहीं।